



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220179
CG-DL-E-26062020-220179

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942

No. 1830]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2067(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में NH-344A के कि.मी. 26.000 से कि.मी. 17.685 SH-18/जालंधर (फगवाड़ा पंजाब) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.11.2019 " को "हिंदुस्तान टाइम्स, जगबानी और पंजाब केसरी" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में कि.मी. 26.000 से कि.मी. 17.685 SH-18/जालंधर (फगवाड़ा पंजाब) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: कपूरथला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फगवाड़ा				
	गांव का नाम: हाजीपुर (62)				
1	217 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025	कमलजीत सिंह स /ओ सोहन सिंह स /ओ हरनाम सिंह १ /४६ शेयर & ऑथर्स (२१७ मं)
2	220 Min	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0051	सेंट्रल गवर्नमेंट (२२० मं)
3	283 Min	सरकारी	रोड	0.1998	सेंट्रल गवर्नमेंट (२८३ मं)
4	356 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051	दीदार सिंह स /ओ करम सिंह स /ओ हजारा सिंह १८५४२ /१४३५०७ शेयर & ऑथर्स (३५६ मं)
5	628 / 216 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506	कमलजीत सिंह स /ओ सोहन सिंह स /ओ हरनाम सिंह १ /४६ शेयर & ऑथर्स (६२८ / २१६ मं)
6	631 / 532 / 221 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0329	राजवीर सिंह स /ओ जोगिन्दर सिंह स /ओ हरबंस सिंह १ /२ शेयर & ऑथर्स (६३१ / ५३२ / २२१ मं)
7	633 / 533 / 221 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379	इकबाल सिंह स /ओ भगत सिंह स /ओ राखा राम १ /५४ शेयर & ऑथर्स (६३३ / ५३३ / २२१ मं)

8	634 / 222	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006	इक़्बाल सिंह स /ओ भगत सिंह स /ओ राखा राम १ /५४ शेयर & ऑथर्स (६३४ / २२२)
9	636 / 222 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0278	इक़्बाल सिंह स /ओ भगत सिंह स /ओ राखा राम १ /५४ शेयर & ऑथर्स (६३६ / २२२ मं)
10	638 / 223 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379	इक़्बाल सिंह स /ओ भगत सिंह स /ओ राखा राम १ /५४ शेयर & ऑथर्स (६३८ / २२३ मं)
11	639 / 534 / 224 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.043	इक़्बाल सिंह स /ओ भगत सिंह स /ओ राखा राम १ /५४ शेयर & ऑथर्स (६३९ / ५३४ / २२४ मं)
12	642 / 535 / 224	निजी	एग्रीकल्चर	0.0228	राजवीर सिंह स /ओ जोगिन्दर सिंह स /ओ हरबंस सिंह १ /२ शेयर & ऑथर्स (६४२ / ५३५ / २२४)
13	649 / 227 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076	राजवीर सिंह स /ओ जोगिन्दर सिंह स /ओ हरबंस सिंह १ /२ शेयर & ऑथर्स (६४९ / २२७ मं)
14	718 / 513 / 353 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126	महिंदर सिंह स /ओ शिव सिंह स /ओ कपूर सिंह ११ /३५० शेयर & ऑथर्स (७१८ / ५१३ / ३५३ मं)
15	720 / 514 / 353 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0354	दीदार सिंह स /ओ करम सिंह स /ओ हज़ारा सिंह १ /६ शेयर & ऑथर्स (७२० / ५१४ / ३५३ मं)
16	722 / 488 / 354 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0076	पियारा सिंह स /ओ नराजन सिंह स /ओ ठाकुर सिंह (७२२ / ४८८ / ३५४ मं)
17	724 / 475 / 354 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0708	महिंदर सिंह स /ओ शिव सिंह स /ओ कपूर सिंह ११ /३५० शेयर & ऑथर्स (७२४ / ४७५ / ३५४ मं)
18	725 / 355 Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0632	पंजाब सरकार (७२५ / ३५५ मं)
			कुल	0.6632	

[फा. सं. PIU/PD/JAL/2015/344A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2067(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O no 3317 (E) dated 16.09.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH No 344A in the stretch of land from Km 26.000 to Km 17.685 SH-18 / Jalandhar Rd (Ropar-Nawanshahr-Banga-Phagwara) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in Hindustan Times (English) , Jagbani (Punjabi) and Punjab Kesari (Hindi) dated 16.11.2019 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 344A in the stretch of land from Km 26.000 to Km 17.685 SH-18 / Jalandhar Rd (Ropar-Nawanshahr-Banga-Phagwara) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: KAPURTHALA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phagwara				
	Viilage: Hajipur (62)				
1	217 Min	Private	Agriculture	0.0025	Kamaljit Singh S/o Sohan Singh S/o Harnam Singh 1/46 share & others 217 Min
2	220 Min	Government	Gair Mumkin	0.0051	Central Government 220 Min
3	283 Min	Government	Road	0.1998	Central Government 283 Min
4	356 Min	Private	Agriculture	0.0051	Deedar Singh S/o Karam Singh S/o Hazara Singh 18542/143507 share & others 356 Min
5	628 / 216 Min	Private	Agriculture	0.0506	Kamaljit Singh S/o Sohan Singh S/o Harnam Singh 1/46 share & others 628 / 216 Min
6	631 / 532 / 221 Min	Private	Agriculture	0.0329	Rajveer Singh S/o Joginder Singh S/o Harbans Singh 1/2 share & others 631 / 532 / 221 Min

7	633 / 533 / 221 Min	Private	Agriculture	0.0379	Iqbal Singh S/o Bhagat Singh S/o Rakha Ram 1/54 share & others 633 / 533 / 221 Min
8	634 / 222	Private	Agriculture	0.0006	Iqbal Singh S/o Bhagat Singh S/o Rakha Ram 1/54 share & others 634 / 222
9	636 / 222 Min	Private	Agriculture	0.0278	Iqbal Singh S/o Bhagat Singh S/o Rakha Ram 1/54 share & others 636 / 222 Min
10	638 / 223 Min	Private	Agriculture	0.0379	Iqbal Singh S/o Bhagat Singh S/o Rakha Ram 1/54 share & others 638 / 223 Min
11	639 / 534 / 224 Min	Private	Agriculture	0.043	Iqbal Singh S/o Bhagat Singh S/o Rakha Ram 1/54 share & others 639 / 534 / 224 Min
12	642 / 535 / 224	Private	Agriculture	0.0228	Rajveer Singh S/o Joginder Singh S/o Harbans Singh 1/2 share & others 642 / 535 / 224
13	649 / 227 Min	Private	Agriculture	0.0076	Rajveer Singh S/o Joginder Singh S/o Harbans Singh 1/2 share & others 649 / 227 Min
14	718 / 513 / 353 Min	Private	Agriculture	0.0126	Mahinder Singh S/o Shiv Singh S/o Kapur Singh 11/350 share & others 718 / 513 / 353 Min
15	720 / 514 / 353 Min	Private	Agriculture	0.0354	Deedar Singh S/o Karam Singh S/o Hazara Singh 1/6 share & others 720 / 514 / 353 Min
16	722 / 488 / 354 Min	Private	Agriculture	0.0076	Piyara Singh S/o Narajan Singh S/o Thakur Singh 722 / 488 / 354 Min
17	724 / 475 / 354 Min	Private	Agriculture	0.0708	Mahinder Singh S/o Shiv Singh S/o Kapur Singh 11/350 share & others 724 / 475 / 354 Min
18	725 / 355 Min	Private	Agriculture	0.0632	Punjab Sarkar 725 / 355 Min
			TOTAL	0.6632	

[F. No. PIU/PD/JAL/2015/344A/3D]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.